कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), जिला शहडोल (म.प्र.)

(फोन नं. 07652-241700, ईमेल- dmshahdol@gmail.com)

-:आदेश:-

क्रमांक/ 985 / आर.डी.एम./पंचा.निर्वा./2022 :: मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी ज्ञाप क्रमांक एफ-37/ PN-01/2022/ तीन/ 212 भोपाल, दिनांक 27.05.2022 से त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन की घोषणा की गई है। निर्वाचन की घोषणा होने से आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। उपरोक्त निर्वाचन के दौरान सम्पूर्ण जिला शहडोल अन्तर्गत शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा अपने आग्नेयास्त्रो शस्त्र का दुरुपयोग कर लोकशांति एवं व्यवस्था भंग की जा सकती है और अत्यावश्यक परिस्थितियों में इन समस्त अनुज्ञप्तिधारियों को कारण बताओ नोटिस देकर सुना जाना संभव नहीं है। शहडोल, दिनांक 27, मई, 2022

चूंकि मुझे इस बात का समाधान हो गया है कि त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2022 अन्तर्गत शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के दौरान अपने आग्नेयास्त्रों का दुरूपयोग कर लोकशांति एवं व्यवस्था भंग करने की पूरी संभावना है एवं उनके पास आग्नेयास्त्रों का बना रहना लोकहित में उचित नहीं है।

अतएव मैं वंदना वैद्य, कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट शहडोल म०प्र० आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17 (3)(बी) के तहत सम्पूर्ण जिला शहडोल अन्तर्गत अनुज्ञप्तिधारियों के पक्ष में स्वीकृत शस्त्र अनुज्ञापत्रों को त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2022 के आदर्श आचार संहिता के प्रभावशील होने के दिनांक से 15 जुलाई 2022 तक के लिए तत्काल प्रभाव से निलंबित करती हूँ। अनुज्ञप्तिधारियों को आदेशित किया जाता है कि वे उनके पक्ष में स्वीकृत शस्त्र अपने निकटतम थाने में तत्काल जमा करायें। यह आदेश सुरक्षा हेतु सार्वजनिक एवं निजी प्रतिष्ठानों के पक्ष में स्वीकृत शस्त्र अनुज्ञा पत्रों पर लागू नहीं होगा।

यह आदेश आज दिनांक 27, मई, 2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

Va

(वंदना वैद्य)
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
शहडोल (म.प्र.)
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जिला शहडोल (म.प्र.)

पृ.क्रमांक- आर.डी.एम./पंचा.निर्वा./2022 985 - A
शहडोल दिनांक 27,मई, 2022

प्रतिलिपि :-

1- प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, गृह विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
2- सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग म.प्र. शासन भोपाल।
3- कमिश्नर, शहडोल संभाग, शहडोल (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
4- अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक / पुलिस महानिरीक्षक, शहडोल रेंज, शहडोल (म.प्र.)।
5- उप पुलिस महानिरीक्षक, शहडोल रेंज, शहडोल (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
6- पुलिस अधीक्षक, शहडोल (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7- अपर जिला मजिस्ट्रेट, शहडोल (म.प्र.)।
8- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत जिला शहडोल (म.प्र.)।
9- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जिला शहडोल (म.प्र.)।
10- उपखण्ड मजिस्ट्रेट / कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, समस्त, जिला शहडोल (म.प्र.)।
11- अनुविभागीय अधिकारी पुलिस समस्त जिला शहडोल (म.प्र.)।
12- तहसीलदार/कार्यपालिक मजिस्ट्रेट समस्त जिला शहडोल (म.प्र.)।
13- उप संचालक, जनसम्पर्क, शहडोल (म.प्र.) की ओर प्रकाशनार्थ।
14- स्टेनो टू कलेक्टर, जिला शहडोल (म.प्र.)।

Va

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जिला शहडोल (म.प्र.)